



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-05092026-276001
CG-GJ-E-05092026-276001

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 527]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2026/ भाद्र 10, 1948

No. 527]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2026/ BHADRA 10, 1948

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 25 अगस्त, 2026

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (प्रतिभूति बाज़ार में बाज़ार दुरुपयोग का अभिनिषेध) विनियम, 2026

आईएफएससीए/जीएन/2026/012.—भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ड) और (छ), और धारा 12 के खंड (क) से (ड) के साथ पठित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 28 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 12 और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (प्रतिभूति बाज़ार में बाज़ार दुरुपयोग का अभिनिषेध) विनियम, 2026 कहा जाएगा।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उद्देश्य

ये विनियम निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में प्रतिभूति बाज़ार में बाज़ार दुरुपयोग पर अभिनिषेध का ढांचा विनिर्दिष्ट करते हैं।

3. परिभाषाएं

(1) इन विनियम में, जब तक संदर्भ में कुछ और न कहा गया हो,—

- (क) “अधिनियम” का तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) से है;
- (ख) “प्राधिकरण” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन बनाए गए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से है;
- (ग) “संबंधित व्यक्ति” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित कार्य से पहले के छह माह के दौरान किसी एंटिटी से निम्नांकित कारणों से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से संबद्ध है या रहा है,—
 - (i) अपने अधिकारियों के साथ बार-बार बातचीत;
 - (ii) कोई अनुबंधात्मक, विश्वसनीय या रोजगार संबंध;
 - (iii) निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी होना; या
 - (iv) अस्थायी या स्थायी, व्यावसायिक या कारोबारी संबंध सहित कोई पद धारण करना, जो ऐसे व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुँच की अनुमति देता है या जिसे ऐसी जानकारी होने की आशा की जा सकती है, जो जनसाधारण के लिए सुलभ नहीं है;
- (घ) “प्रतिभूतियों में लेन-देन” में निम्नांकित शामिल हैं,—
 - (i) किसी व्यक्ति द्वारा (चाहे वह प्रमुख, एजेंट या मध्यस्थ के रूप में हो, स्वयं या वाहक या फ़र्जी खाते के ज़रिए) किसी भी प्रतिभूतियों के इश्यू के अधीन उन्हें खरीदने, बेचने या अभिदान करने का कार्य करना, या खरीदने, बेचने या अभिदान करने के लिए सहमत होना, या किसी भी तरह से प्रतिभूतियों में लेन-देन करना;
 - (ii) ऐसे कार्य जो जानबूझकर प्रतिभूतियों में निवेशकों के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए किए गए हों; और
 - (iii) उपर्युक्त कार्य करने में मदद करना;
- (ङ) “अधिकृत व्यक्ति” का तात्पर्य सूचीबद्ध कंपनी के नियंत्रण शेयरधारक और निदेशक से है, और इसमें वे अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्हें सूचीबद्ध कंपनी इस श्रेणी में रख सकती है;
- (च) “धोखाधड़ी” का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा, या उसकी मिलीभगत से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, या उसके एजेंट द्वारा प्रतिभूतियों में लेन-देन करते समय किए गए किसी भी कार्य, अभिव्यक्ति, की गई गलती या उस गलती का संगोपन (चाहे धोखा करने की भावना से हो या नहीं) से है, जिसका उद्देश्य किसी दूसरे व्यक्ति या उसके एजेंट को प्रतिभूतियों में लेन-देन करने के लिए उकसाना हो, चाहे इससे कतिपय सदोष अभिलाभ हुआ हो या हानि से बचने का प्रयास किया गया हो या नहीं, और इनमें निम्नांकित शामिल हैं,—
 - i. सच को जानबूझकर गलत बताना या आवश्यक बात छिपाना ताकि दूसरा व्यक्ति ऐसा कार्य करे जिससे उसे नुकसान हो;
 - ii. किसी ऐसी बात को सच बताना जो सच नहीं है, और जिसे बताने वाला व्यक्ति खुद सच नहीं मानता;
 - iii. किसी ऐसी बात को जानबूझकर छिपाना जिसके बारे में बताने वाले व्यक्ति को जानकारी या विश्वास हो;

- iv. ऐसा वादा करना जिसे पूरा करने का कोई इरादा न हो;
- v. बिना सोचे-समझे या लापरवाही से कोई बात कहना, चाहे वह सच हो या झूठ;
- vi. कोई भी ऐसा कार्य या कार्य न करना जिसे किसी दूसरे कानून में धोखाधड़ी वाला माना गया हो;
- vii. किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा धोखा देने वाला व्यवहार जिससे दूसरा व्यक्ति पूरी जानकारी के साथ सहमति न दे पाए या पूरी तरह से शामिल न हो पाए;
- viii. बिना किसी ठोस आधार के कोई झूठी बात कहना;
- ix. प्रतिभूतियाँ जारी करने वाले द्वारा गलत जानकारी देना जिससे प्रतिभूतियों के बाज़ार मूल्य पर प्रभाव पड़े, और निवेशक गुमराह हो जाएं, भले ही उन्होंने उस वक्तव्य या उससे जुड़ी किसी चीज़ पर (बाज़ार मूल्य के अलावा) भरोसा न किया हो,

और "धोखाधड़ी" का तात्पर्य इसी तरह समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण.—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के दायरे में अच्छे भावना से की गई किसी भी सामान्य टिप्पणी नहीं आती, जो निम्नांकित से जुड़ी हो:—

- i. सरकार की आर्थिक नीति;
 - ii. देश की आर्थिक स्थिति;
 - iii. प्रतिभूति बाज़ार में रुझान; या
 - iv. इसी तरह का कोई अन्य मामला,
- चाहे ऐसी टिप्पणियाँ सार्वजनिक रूप से की गई हों या व्यक्तिगत रूप से;
- (छ) "निकटवर्ती संबंधी" का तात्पर्य किसी व्यक्ति के जीवनसाथी से है और इसमें उस व्यक्ति या जीवनसाथी के माता-पिता, भाई-बहन और बच्चे शामिल हैं, जो या तो आर्थिक रूप से उस व्यक्ति पर निर्भर हैं, या प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग से जुड़े निर्णय लेने में उस व्यक्ति से सलाह लेते हैं;
- (ज) "आंतरिक व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो,—
- i. संबद्ध व्यक्ति है; या
 - ii. जिसके पास ऐसी आवश्यक जानकारी है जो सार्वजनिक नहीं है;
- (झ) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही तात्पर्य होगा जो इस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (g) में निर्दिष्ट किया गया है;
- (ञ) "सूचीबद्ध" का तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने से है;
- (ट) "बाज़ार दुरुपयोग" का तात्पर्य प्रतिभूति बाज़ार में गैर-कानूनी व्यवहार से है, और इसमें आंतरिक व्यक्ति ट्रेडिंग और हेरफेर वाले, धोखाधड़ी वाले और अनुचित व्यापार तौर-तरीके शामिल होंगे, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा;
- (ठ) "आवश्यक गैर-सार्वजनिक जानकारी" या "अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना" का तात्पर्य किसी एंटीटी या उसकी प्रतिभूतियों से जुड़ी कोई भी जानकारी से है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आम तौर पर उपलब्ध नहीं है और जो बिना किसी भेदभाव के जनता के लिए उपलब्ध होने पर, एंटीटी की प्रतिभूतियों के मूल्य पर काफ़ी प्रभाव डाल सकती है, और इसमें आम तौर पर निम्नलिखित से जुड़ी जानकारी शामिल होगी, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगी,—
- i. वित्तीय परिणाम;
 - ii. लाभांश;

- iii. पूंजी संरचना में परिवर्तन;
- iv. विलय, विनिवेश, अधिग्रहण, असूचीयन, निपटान और कारोबार का विस्तार, सामान्य कारोबार के दायरे से बाहर के आदेश या अनुबंध मिलना या खत्म होना और ऐसे अन्य लेन-देन;
- v. सेवानिवृत्ति या कार्यकाल समाप्त होने के अतिरिक्त, मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों में परिवर्तन, और वैधानिक लेखापरीक्षक या सचिवालयी लेखापरीक्षक का त्यागपत्र;
- vi. 'पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ईएसजी)' रेटिंग के अतिरिक्त रेटिंग में परिवर्तन;
- vii. निधि जुटाने का प्रस्ताव;
- viii. किसी भी नाम से जाने जाने वाले समझौते, जो एंटीटी के प्रबंधन या नियंत्रण पर प्रभाव डाल सकते हैं;
- ix. ऐसी एंटीटी, उसके प्रवर्तक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों या सहायक कंपनी द्वारा धोखाधड़ी या व्युत्क्रम, या एंटीटी के मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों, प्रवर्तक या निदेशक की गिरफ्तारी, चाहे वह भारत में हुई हो या विदेश में।

स्पष्टीकरण 1.—इस उप-खंड के उद्देश्यों के लिए, "व्युत्क्रम" का तात्पर्य ऋण का भुगतान न करने से है जब वह देय और भुगतान योग्य हो गया हो।

स्पष्टीकरण 2.—प्रवर्तक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों या सहायक कंपनी द्वारा व्युत्क्रम, यदि यह एंटीटी को प्रभावित करता है, तो उस पर विचार किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण 3.—आवर्गी ऋण सुविधाओं के मामले में, यदि देय शेष स्वीकृत की गई सीमा या आहरण शक्ति, इनमें से जो भी कम हो, से लगातार तीस दिनों से अधिक समय तक अधिक रहता है, तो इसे एंटीटी का व्युत्क्रम माना जा सकता है;

- (x) बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण/उधार के संबंध में समाधान योजना /पुनर्संरचना या एकल-बारगी समाधान;
- (xi) किसी पार्टी/लेनदार द्वारा फ़ाइल की गई समापन याचिका को स्वीकार करना और कारपोरेट देनदार के रूप में एंटीटी के विरुद्ध कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए कारपोरेट आवेदक या वित्तीय लेनदारों द्वारा अधिकरण में फ़ाइल आवेदन को स्वीकार करना, दिवाला एंड शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन समाधान योजना को स्वीकृति देना या उसे अस्वीकार करना, या किसी विदेशी अधिकार क्षेत्र के कानूनों के अधीन ऐसी ही कोई कार्यवाही करना;
- (xii) वित्तीय विवरण में असत्य जानकारी का पता लगाने, निधि के दुरुपयोग या हेराफेरी या विचलन के लिए एंटीटी या किसी अन्य एंटीटी द्वारा अपराधविज्ञान लेखापरीक्षा (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए) आरंभ करना और अंतिम अपराधविज्ञान लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करना;
- (xiii) एंटीटी के संबंध में एंटीटी या उसके निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों, प्रवर्तक या सहायक कंपनी के विरुद्ध भारत या विदेश में किसी नियामक, वैधानिक, प्रवर्तन प्राधिकरण या न्यायिक निकाय द्वारा शुरू की गई कार्रवाई या पारित आदेश;
- (xiv) किसी भी मुकदमे या विवाद का परिणाम जिसका एंटीटी पर प्रभाव पड़ सकता है;
- (xv) सामान्य व्यावसायिक कार्यकाज के अलावा किसी तीसरे पक्ष के लिए गारंटी या क्षतिपूर्ति देना या प्रत्याभूति देना (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए); या
- (xvi) मुख्य लाइसेंस या नियामक स्वीकृति देना, वापस लेना, अभ्यर्पण करना, निरस्त करना या निलंबित करना;

- (ड) “वाहक/फर्जी खाता” में ब्रोकर लेन-देन के पास रखा गया ट्रेडिंग खाता या अमूर्त खाता या ऐसे ट्रेडिंग खाते से जुड़ा बैंक खाता शामिल है जो किसी व्यक्ति के नाम पर हो, लेकिन जिसे वास्तव में कोई अन्य व्यक्ति नियंत्रित करता हो, चाहे ऐसे खाते में लेन-देन के लिए भुगतान उस अन्य व्यक्ति ने किया हो या नहीं;
 - (ढ) “मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज” का वही तात्पर्य होगा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बाज़ार अवसंरचना संस्थान) विनियम, 2021 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (थ) के अधीन बताया गया है;
 - (ण) “प्रतिभूतियों” का वही तात्पर्य होगा जो प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) में बताया गया है;
 - (त) “ट्रेडिंग” में किसी भी प्रतिभूति के लिए अभिदान करना, भुनाना, परिवर्तित करना, खरीदना, बेचना, क्रय-विक्रय करना या इनके लिए सहमत होना शामिल है, और “ट्रेड” का तात्पर्य भी इसी तरह से समझा जाएगा।
- (2) इन विनियम में प्रयोग किए गए और परिभाषित न किए गए शब्दों और वाक्यांशों का वही तात्पर्य होगा जो अधिनियम, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 (1956 का 42), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15), निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22), या इनके अधीन बनाए गए किसी भी नियम या विनियम में दिया गया है, या फिर उनमें किए गए किसी कानूनी परिवर्तन या पुनः लागू किए जाने पर उसका जो तात्पर्य होगा, वही माना जाएगा।

अध्याय II

आंतरिक व्यक्तियों द्वारा सम्प्रेषण और ट्रेडिंग पर अभिनिषेध

4. महत्वपूर्ण गैर-सार्वजनिक जानकारी का सम्प्रेषण या अधिप्राप्ति

- (1) कोई भी आंतरिक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति, जिसमें अन्य आंतरिक व्यक्ति भी शामिल हैं, को किसी एंटिटी या सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने वाली प्रतिभूतियों से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण गैर-सार्वजनिक जानकारी संप्रेषित, प्रदान नहीं करेगा, या उसकी सुलभता की अनुमति नहीं देगा, सिवाय इसके कि ऐसा संवाद सही उद्देश्यों, कर्तव्यों के निर्वहन या कानूनी उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए किया गया हो।
- स्पष्टीकरण.— इस विनियम के उद्देश्यों के लिए, “सही उद्देश्यों” में किसी आंतरिक व्यक्ति द्वारा साझीदारों, सहयोगियों, ऋणदाताओं, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, शीर्ष प्रबंधकों, बीमाकर्ताओं, विधिक सलाहकारों, लेखापरीक्षकों, दिवाला व्यावसायिकों या दूसरे सलाहकारों या परामर्शदाताओं के साथ कारोबार के सामान्य तरीके में आवश्यक गैर-सार्वजनिक जानकारी शेयर करना शामिल है, जब तक कि ऐसी शेयरिंग इन विनियमों के अधीन निषेध से बचने या उसे दरकिनार करने के लिए न की गई हो।
- (2) कोई भी व्यक्ति किसी आंतरिक व्यक्ति से किसी सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने वाली प्रस्तावित प्रतिभूतियों से जुड़ी आवश्यक गैर-सार्वजनिक जानकारी नहीं लेगा, या उसे संप्रेषित नहीं करवाएगा, सिवाय इसके कि यह सही उद्देश्य, कर्तव्यों का पालन या कानूनी उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अनिवार्य हो।
- (3) सही उद्देश्य के लिए आवश्यक गैर-सार्वजनिक जानकारी पाने वाले व्यक्ति को इन विनियमों के लिए “आंतरिक व्यक्ति” माना जाएगा और ऐसा व्यक्ति इन विनियमों के अनुपालन में ऐसी आवश्यक गैर-सार्वजनिक जानकारी की देखरेख करेगा।

5. ट्रेडिंग करना जब उसे महत्वपूर्ण गैर-सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध हो

- (1) कोई भी आंतरिक व्यक्ति, जब उसके पास आवश्यक गैर-सार्वजनिक जानकारी हो, ऐसी प्रतिभूतियाँ, जो सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित हैं, में न तो स्वयं ट्रेड करेगा और न ही किसी दूसरे व्यक्ति से ट्रेड करवाएगा।

- (2) जहाँ किसी व्यक्ति ने आवश्यक गैर-सार्वजनिक जानकारी होने पर प्रतिभूतियों में ट्रेड किया है, तो यह माना जाएगा कि ऐसा ट्रेड उसे उपलब्ध ऐसी जानकारी के आधार पर किया गया है।
- (3) यदि किसी व्यक्ति ने आवश्यक गैर-सार्वजनिक जानकारी होने पर भी प्रतिभूतियों में ट्रेड किया है, तो वह अपनी ट्रेडिंग को इन परिस्थितियों को दिखाकर समझा सकता है, जिनमें निम्नांकित शामिल हैं,—
 - (क) यह लेन-देन उन आंतरिक व्यक्तियों के मध्य बाज़ार से इतर आंतरिक अंतरण है जिनके पास वही आवश्यक गैर-सार्वजनिक जानकारी थी और उन्होंने विनियम 4 का उल्लंघन नहीं किया है, और दोनों पक्षों ने सोच-समझकर और जानकारी के साथ ट्रेड का निर्णय लिया;
 - (ख) यह लेन-देन किसी जाने-माने स्टॉक एक्सचेंज के ब्लॉक लेन-देन विंडो मैकेनिज़्म के माध्यम से उन लोगों के मध्य किया गया, जिनके पास विनियम 4 का उल्लंघन किए बिना आवश्यक गैर-सार्वजनिक जानकारी थी और दोनों पक्षों ने सोच-समझकर और जानकारी के साथ ट्रेड का निर्णय लिया;
 - (ग) यह लेन-देन सही था और किसी कानूनी या नियामक उत्तरदायित्व के अधीन किया गया;
 - (घ) यह लेन-देन स्टॉक विकल्पों के प्रयोग के अधीन किया गया, जिसके लिए उपयोग का मूल्य प्रभावी कानूनों के अनुपालन से पूर्व तय की गई थी;
 - (ङ) गैर-वैयक्तिक आंतरिक व्यक्तियों के मामले में,—
 - (i) जिन लोगों के पास ऐसी आवश्यक गैर-सार्वजनिक जानकारी थी, वे ट्रेडिंग के फैसले लेने वाले लोगों से अलग थे और ऐसे फैसले लेने वाले लोगों के पास ऐसी आवश्यक गैर-सार्वजनिक जानकारी नहीं थी जब उन्होंने ट्रेड करने का फैसला लिया; और
 - (ii) यह सुनिश्चित करने के लिए सही और पर्याप्त व्यवस्था थी कि इन विनियम का उल्लंघन न हो और जानकारी रखने वाले लोगों ने ट्रेडिंग के निर्णय लेने वाले लोगों को कोई आवश्यक गैर-सार्वजनिक जानकारी नहीं दी और ऐसी व्यवस्थाओं के उल्लंघन का कोई साक्ष्य नहीं है;
 - (च) ट्रेड ऐसे अटल ट्रेडिंग प्लान के अधीन किए गए थे जिसे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) को कम से कम एक सौ बीस दिन पहले ही निर्दिष्ट कर दिया गया था।
- 4) प्राधिकरण समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त मानक और आवश्यकताएं निर्दिष्ट कर सकता है, जिनमें रिपोर्टिंग की आवश्यकताएं शामिल हैं, जिन्हें वह इन विनियमों के उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे।

6. अधिकृत लोगों द्वारा प्रकटीकरण

- (1) हर सूचीबद्ध एंटीटी के पास इस विनियम में बताई गई ज़रूरतों के अनुसार अधिकृत लोगों द्वारा प्रकटीकरण के लिए पॉलिसी होगी।
- (2) हर अधिकृत व्यक्ति, सूचीबद्ध एंटीटी को उन विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की संख्या बताएगा जो उसने या उसके निकटवर्ती संबंधियों ने ऐसे लेन-देन के दो ट्रेडिंग दिनों के भीतर खरीदी या बेची हैं, यदि किसी कैलेंडर तिमाही में, चाहे एक लेन-देन में या लेन-देन की सीरीज़ में ट्रेड की गई विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का मूल्य की यूएसडी 25 हजार से अधिक या प्राधिकरण द्वारा बताए गए किसी अन्य मूल्य से अधिक हो।

स्पष्टीकरण 1.— इस उप-विनियम के उद्देश्य के लिए, “विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ” शब्द में सूचीबद्ध एंटीटी की इक्विटी लिखते, ऋण प्रतिभूतियाँ और कोई भी अन्य व्युत्पन्न लिखते शामिल होंगी।

स्पष्टीकरण 2.— “इक्विटी लिखत” शब्द का तात्पर्य सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय डिबेंचर, अधिमान शेयर और शेयर वारंट से है।

- (3) कंपनी को उप-विनियम (2) के अधीन, प्रकटीकरण प्राप्त होने के दो कार्य दिवसों के भीतर सूचीबद्ध एंटीटी, उस जानकारी के बारे में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (जहाँ उसके शेयर सूचीबद्ध हैं) को सूचित करना होगा और उस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर भी डालना होगा।

अध्याय III

छलकपट, धोखाधड़ी और अनुचित ट्रेड प्रथाओं पर अभिनिषेध

7. प्रतिभूतियों में कतिपय लेन-देन पर अभिनिषेध।

कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंग से,—

- (क) धोखाधड़ी तरीके से प्रतिभूतियों का न तो क्रय-विक्रय करेगा और न ही अन्यथा लेन-देन करेगा;
- (ख) सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने का प्रस्ताव वाली प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग के संबंध में, अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15), या उसके अधीन जारी नियमों या विनियम के उपबंध का उल्लंघन करते हुए कोई छलकपटपूर्ण या धोखा देने वाले डिवाइस या तरकीब का प्रयोग नहीं करेगा;
- (ग) सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने हेतु प्रस्तावित प्रतिभूतियों में लेन-देन करने या जारी करने के संबंध में धोखा देने के लिए कोई डिवाइस, योजना या छलकपट का प्रयोग नहीं करेगा; या
- (घ) किसी ऐसे कार्य, प्रैक्टिस, या व्यापार में शामिल होना जो किसी व्यक्ति के साथ छल या धोखा करता है या करेगा, ऐसी प्रतिभूतियों की किसी भी लेन-देन या इश्यू के संबंध में जो अधिनियम, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15), या उसके अधीन जारी नियमों या विनियमों के उपबंध का उल्लंघन करके सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध होने हेतु प्रस्तावित हैं।

8. छलकपट, धोखाधड़ी और अनुचित ट्रेड प्रथाओं पर अभिनिषेध

- (1) विनियम 7 पर कोई बुरा प्रभाव डाले बिना, कोई भी व्यक्ति प्रतिभूति बाज़ार में छलकपट, धोखाधड़ी और अनुचित ट्रेड प्रथाओं में शामिल नहीं होगा।
- (2) प्रतिभूतियों में लेन-देन को छलकपट, धोखाधड़ी और अनुचित ट्रेड प्रथा माना जाएगा यदि इसमें नीचे दिए गए में से कोई भी शामिल हो,—
 - (क) जानबूझकर ऐसे कार्य में शामिल होना जिससे प्रतिभूति बाज़ार में ट्रेडिंग का झूठा या गुमराह करने वाला दिखावा हो;
 - (ख) ऐसी प्रतिभूतियों में लेन-देन करना जिसका उद्देश्य लाभप्रद स्वामित्व का अंतरण न हो, बल्कि सिर्फ़ गलत लाभ या हानि से बचने के लिए ऐसी प्रतिभूतियों का मूल्य बढ़ाने, कम करने या उसमें उतार-चढ़ाव लाने के तरीके के तौर पर कार्य करना हो;
 - (ग) किसी भी व्यक्ति को प्रतिभूतियों के किसी इश्यू में अभिदान करने के लिए उकसाना, ताकि इसके लिए किसी अन्य व्यक्ति को कोई पैसा अग्रिम रूप से देकर या अग्रिम देने के लिए राज़ी होकर या किसी और तरीके से धोखाधड़ी से प्रतिभूतियों के ऐसे इश्यू के लिए न्यूनतम अभिदान प्राप्त किया जा सके;
 - (घ) किसी भी व्यक्ति को प्रतिभूतियों में लेन-देन करने के लिए उकसाना ताकि किसी भी तरीके से प्रतिभूतियों के मूल्य में बनावटी तौर पर बढ़ोतरी हो, कम हो, बनी रहे या उतार-चढ़ाव हो, जिसमें किसी व्यक्ति को सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से कोई पैसा या पैसे की कीमत देना, ऑफ़र करना या पेमेंट करने या ऑफ़र करने के लिए राज़ी होना शामिल है;
 - (ङ) प्रतिभूतियों के मूल्य में हेरफेर करने वाला कोई भी कार्य या चूक, जिसमें प्रतिभूतियों के संदर्भ मूल्य या बेंचमार्क मूल्य को प्रभावित करना या उसमें हेरफेर करना शामिल है;
 - (च) प्रतिभूतियों में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा जानबूझकर प्रतिभूतियों से संबंधित कोई भी जानकारी प्रकाशित करना या करवाना या रिपोर्ट करना या करवाना, जिसमें वित्तीय परिणाम, वित्तीय विवरण, विलय और अधिग्रहण, नियामक स्वीकृतियां शामिल हैं, जो सत्य नहीं हैं, या जिसके बारे में वह प्रतिभूतियों में कार्य करने से पहले या उसके दौरान सत्य होने का भरोसा नहीं करता है;

- (छ) इसे निष्पादित करने के इरादे के बिना या ऐसी प्रतिभूति के स्वामित्व में परिवर्तन के इरादे के बिना प्रतिभूतियों में लेनदेन करना;
- (ज) चोरी की गई, नकली या धोखाधड़ी से जारी की गई प्रतिभूतियों, चाहे वे भौतिक या अमूर्त हों, को बेचना, उनमें ट्रेड करना या गिरवी रखना:
- बशर्ते कि चोरी की, नकली या धोखाधड़ी से जारी की गई ऐसी प्रतिभूतियों को बेचना, उनमें ट्रेड करना या गिरवी रखना, छलकपट, धोखाधड़ी, या अनुचित ट्रेड नहीं माना जाएगा, यदि,—
- (i) चोरी की गई, नकली या धोखाधड़ी से जारी की गई प्रतिभूतियों को बेचने, उनमें ट्रेड करने या गिरवी रखने वाला व्यक्ति समय के साथ साथ धारक बन गया हो; या
- (ii) चोरी की गई, नकली या धोखाधड़ी से जारी की गई प्रतिभूतियों का पहले किसी असली लेन-देन के माध्यम से बाज़ार में ट्रेड किया गया हो;
- (झ) किसी भी मीडिया, चाहे वह भौतिक हो या डिजिटल, के माध्यम से ऐसी जानकारी या सलाह फैलाना, जिसके बारे में फैलाने वाले को पता हो कि वह झूठी या गुमराह करने वाली है और जो प्रतिभूतियों में लेन-देन करने वाले निवेशकों के निर्णय पर प्रभाव डालने के लिए बनाई गई है, या ऐसा होने की संभावना है;
- (ञ) कोई बाज़ार प्रतिभागी ग्राहक की जानकारी या ग्राहक के निदेशों के बिना उसकी ओर से लेन-देन करता है या ग्राहक की निधि या प्रतिभूतियों का दुरुपयोग करता है या उन्हें अन्य स्थान पर लगाता है, जो न्यासी क्षमता में रखे गए हैं;
- (ट) किसी भी प्रतिभूतियों के संबंध में परिपत्र लेन-देन में शामिल होना ताकि ऐसी प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग का बनावटी दिखावा किया जा सके या ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य को बढ़ाया, घटाया या उसमें उतार-चढ़ाव लाया जा सके;
- (ठ) किसी बाज़ार प्रतिभागी द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी ब्रोकरेज या कमीशन या आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिभूतियों में लेन-देन करने के लिए धोखाधड़ी से उकसाना;
- (ड) प्रतिभूति बाज़ार में किसी भी कार्यकलाप से जुड़े अनुबंध नोट्स, ग्राहक अनुदेश, प्रतिभूति शेष विवरण, या ग्राहक खाता विवरण जैसे रिकॉर्ड को पहले से बनाना या गलत ढंग से बनाना;
- (ढ) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों में दिया गया कोई भी आदेश, जबकि उसके पास उन प्रतिभूतियों, उनकी अंतरनिहित प्रतिभूतियों या उसके व्युत्पन्न में होने वाले किसी बड़े लेन-देन के बारे में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ऐसी जानकारी हो जो सार्वजनिक रूप में उपलब्ध न हो;
- (ण) जानबूझकर झूठी या गुमराह करने वाली खबरें डालना जिससे प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद प्रभावित हो सकती है;
- (त) प्रतिभूतियों या प्रतिभूति बाज़ार से जुड़ी सेवाओं की गलत तरीके से बिक्री;
- स्पष्टीकरण.—इस खंड के उद्देश्य से, “गलत तरीके से बिक्री” का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रतिभूतियों या प्रतिभूति बाज़ार से जुड़ी सेवाओं की बिक्री करना, जिसके अधीन:—
- (i) जानबूझकर गलत या गुमराह करने वाला बयान देना;
- (ii) जानबूझकर आवश्यक तथ्यों को छिपाना या न बताना;
- (iii) जानबूझकर उससे जुड़े जोखिम को छिपाना; या
- (iv) खरीदार के लिए प्रतिभूतियों या सेवा की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी न बरतना।
- (थ) प्रतिभूतियों की बनावटी मांग या मूल्य बनाना;
- (द) ट्रेडिंग गतिविधि को बनावटी रूप से बढ़ाने के लिए एक ही कीमत पर प्रतिभूतियों खरीदना और बेचना;
- (ध) ऐसी अफवाह फैलाना या गुमराह करने वाले कार्यकलाप करना जिससे प्रतिभूतियों के मूल्य ऊपर या नीचे जा सके;

- (न) आदेश को पूरा करने के इरादे के बिना बार-बार आदेश देना और उसे निरस्त करना, ताकि केवल आपूर्ति या मांग में परिवर्तन करके प्रतिभूतियों की मांग और मूल्य को बनावटी रूप से तय किया जा सके;
- (प) किसी इकाई की संपत्ति या कमाई का कोई भी विचलन, दुरुपयोग या हेराफेरी करना, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी प्रतिभूतियों के मूल्य में हेरफेर हो;
- (फ) इकाई के खाता बहियों या वित्तीय विवरण में हेरफेर करना, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी प्रतिभूतियों के मूल्य में हेरफेर हो; या
- (ब) किसी व्यक्ति द्वारा किसी सामूहिक निवेश योजना को प्रत्यायोजित करके या प्रत्यायोजित करवाकर या चलाकर या चलवाकर गैर-कानूनी तरीके से निधि जुटाना;

स्पष्टीकरण.—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उप-विनियम में निर्दिष्ट कृत्य और व्युत्क्रम ही अंतिम नहीं हैं, और यदि कोई कृत्य या चूक विनियम 7 के दायरे में आती है तो वह प्रतिबंधित है, भले ही वह इस उप-विनियम में शामिल न हो या इस उप-विनियम में उसे केवल किसी खास श्रेणी के व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा किए जाने या न किए जाने के तौर पर निर्दिष्ट किया गया हो।

अध्याय IV

विविध

9. बाज़ार दुरुपयोग का अभिनिषेध करने के लिए संस्थागत व्यवस्था।

- (1) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को बाज़ार दुरुपयोग के अभिनिषेध के लिए इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त और प्रभावी प्रणाली और आचार संहिता लागू करनी होगी।
- (2) आंतरिक नियंत्रण में, अन्य बातों के अतिरिक्त, निम्नलिखित उपबंध शामिल होंगे:—
 - (क) महत्वपूर्ण गैर-सार्वजनिक जानकारी की पहचान करना और उसकी गोपनीयता बनाए रखना;
 - (ख) महत्वपूर्ण गैर-सार्वजनिक जानकारी प्राप्त करने और उसे साझा करने पर उचित प्रतिबंध लगाना;
 - (ग) उन कर्मचारियों की पहचान करना जिनकी महत्वपूर्ण गैर-सार्वजनिक जानकारी तक पहुँच है; और
 - (घ) नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर उनकी समीक्षा करना।
- (3) प्राधिकरण उप-नियम (1) और (2) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आंतरिक नियंत्रण और आचार संहिता के लिए यथोचित अतिरिक्त मानक तय कर सकता है।

10. नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई

प्राधिकरण इन नियमों के किसी भी उल्लंघन से अधिनियम के संबंधित उपबंधों के अनुसार निपटेगा।

11. रजिस्ट्रीकरण का निलंबन या निरस्तीकरण

प्राधिकरण, अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के संबंधित उपबंधों के अधीन किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लिखित रूप में दर्ज कारणों से और निवेशकों तथा प्रतिभूति बाज़ार के हित में, इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी व्यक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित में से कोई भी कार्रवाई कर सकता है:—

- (क) चेतावनी या निंदा जारी करना; या
- (ख) ऐसे व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण निलंबित या निरस्त करना।

12. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

प्राधिकरण इन नियमों के उपबंधों की व्याख्या या लागू करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, सहायक निदेशों के माध्यम से निदेश या स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

13. नियम, प्रक्रियाएं तय करने और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति

प्राधिकरण इन नियमों को लागू करने और उससे जुड़े मामलों के लिए, सहायक निदेशों के माध्यम से नियम, प्रक्रियाएं, विधियां या कोई अतिरिक्त आवश्यकताएं तय कर सकता है, और आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

14. नियमों के कड़े पालन में ढील देने की शक्ति

- (1) प्राधिकरण, लिखित रूप में दर्ज कारणों से, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वित्तीय सेवा बाज़ार के विकास के हित में, इन नियमों की किसी भी आवश्यकता के कड़े पालन में ढील दे सकती है।
- (2) उप-विनियम (1) के अधीन छूट पाने के लिए, प्राधिकरण के पास आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन में छूट मांगने के कारण और पूरी जानकारी देनी होगी, साथ ही प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अप्रतिदेय शुल्क भी जमा कराना होगा।
- (3) प्राधिकरण, उप-विनियम (2) के अधीन प्रस्तुत आवेदन (जिसमें मांगी गई पूर्ण जानकारी का जवाब भी शामिल हो) मिलने के साठ दिनों के भीतर उस पर कार्रवाई करेगा। साथ ही, आवेदक द्वारा मांगी गई छूट को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के कारणों को भी दर्ज करेगा।

15. अप्रयोज्यता और संरक्षण

- (1) इन विनियम के लागू होने की तारीख से, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में 'भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (आंतरिक व्यक्ति ट्रेडिंग पर अभिनिषेध) विनियम, 2015' और 'भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाज़ार से सम्बद्ध धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार तौर-तरीकों पर अभिनिषेध) विनियम, 2003' लागू नहीं होंगे।
- (2) उप-विनियम (1) में दी गई किसी भी बात के बावजूद, इन विनियम के लागू होने से पहले उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट विनियम के अधीन किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई, इन विनियमों के संबंधित उपबध्दों के अधीन की गई या ली गई कार्रवाई माना जाएगा।

प्रदीप रामकृष्णन, कार्यकारी निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./295/2026-27]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY**NOTIFICATION**

Gandhinagar, the 25th August, 2026

International Financial Services Centres Authority (Prohibition of Market Abuse in Securities Markets) Regulations, 2026.

IFSCA/GN/2026/012.— In exercise of the powers conferred by section 12 and section 13 read with sub-section (1) of section 28 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), read with clauses I and (g) of sub-section (2) of section 11, and clauses (a) to I of section 12A of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following Regulations, namely:-

CHAPTER I**PRELIMINARY****1. Short title and commencement.**

- (1) These Regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Prohibition of Market Abuse in Securities Markets) Regulations, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Objective.

These Regulations specify the framework for prohibiting market abuse in the securities market in the International Financial Services Centre, in order to protect the interests of investors.

3. Definitions.

(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
- (b) “Authority” means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of section 4 of the Act;
- (c) “connected person” means a person who is or has been, during the six months prior to the concerned act, associated with an entity, directly or indirectly, in any capacity, including by reason of,—
 - (i) frequent communication with its officers;
 - (ii) any contractual, fiduciary or employment relationship;
 - (iii) being a director, officer or an employee ; or
 - (iv) holding any position, including a professional or business relationship, whether temporary or permanent, that allows or is reasonably expected to allow such person, directly or indirectly, access to material non-public information;
- (d) “dealing in securities” includes,—
 - (i) an act of buying, selling or subscribing pursuant to any issue of any securities or agreeing to buy, sell or subscribe to any issue of any securities or otherwise transacting in any way in any securities by any person, including as principal, agent, or intermediary, either by themselves or through mule accounts;
 - (ii) acts which may be knowingly designed to influence the decision of investors in securities; and
 - (iii) an act of providing assistance to carry out the aforementioned acts;
- (e) “designated person” means the controlling shareholders and directors of a listed entity, and includes such other persons who may be categorised as such by the listed entity;
- (f) “fraud” means any act, expression, omission or concealment committed, whether in a deceitful manner or not, by a person, by any other person with his connivance, or by his agent while dealing in securities, in order to induce another person or his agent to deal in securities, whether or not there is any wrongful gain or avoidance of any loss, and includes,—
 - (i) a knowing misrepresentation of the truth or concealment of material fact in order that another person may act to his detriment;
 - (ii) a suggestion, as a fact, of that which is not true, which such person does not believe it to be true;
 - (iii) an active concealment of a fact by such person having knowledge or belief of the fact;
 - (iv) a promise made without any intention of performing it;
 - (v) a representation made in a reckless and careless manner whether it be true or false;
 - (vi) any act or omission specifically declared to be fraudulent by any other law;
 - (vii) deceptive behaviour by such person depriving another of informed consent or full participation;
 - (viii) a false statement made without reasonable ground for believing it to be true;
 - (ix) the act of an issuer of securities giving out misinformation that affects the market price of the securities, resulting in investors being misled even though they did not rely on the statement itself or anything derived from it other than the market price,

and “fraudulent” shall be construed accordingly.

Explanation.—For the removal of doubts, it is clarified that the scope of this clause shall not extend to any general comment made in good faith regarding:—

- (i) the economic policy of a government;
- (ii) the economic situation of a country;
- (iii) trends in the securities markets; or

- (iv) any other matter of a like nature,
irrespective of whether such comments are made in public or in private;
- (g) “immediate relative” means spouse of a person and includes parent, sibling, and child of such person or of the spouse, any of whom is either dependent financially on such person, or consults such person in taking decisions relating to trading in securities;
- (h) “insider” means any person who is,—
 - (i) a connected person; or
 - (ii) in possession of, or having access to, material non-public information;
- (i) “International Financial Services Centre” shall have the same meaning as assigned to it under clause (g) of sub-section (1) of section 3 of the Act;
- (j) “listed” means listed on a recognised stock exchange in the International Financial Services Centre;
- (k) “market abuse” means unlawful behaviour in the securities market, and shall include, but not be restricted to, insider trading and manipulative, fraudulent and unfair trade practice;
- (l) “material non-public information” or “unpublished price sensitive information” means any information, relating to an entity or its securities, directly or indirectly, which is not generally available and which upon becoming generally available to the public on a non-discriminatory basis, is likely to materially impact the price of the securities of the entity, and shall ordinarily include, but not be restricted to, information relating to the following,—
 - (i) financial results;
 - (ii) dividends;
 - (iii) change in capital structure;
 - (iv) mergers, de-mergers, acquisitions, delistings, disposals and expansion of business, award or termination of orders or contracts not in the normal course of business and such other transactions;
 - (v) changes in key managerial personnel, other than due to superannuation or end of term, and resignation of a statutory auditor or secretarial auditor;
 - (vi) change in rating(s), other than ‘Environmental, Social and Governance (ESG)’ rating(s);
 - (vii) fund raising proposed to be undertaken;
 - (viii) agreements, by whatever name called, which may impact the management or control of the entity;
 - (ix) fraud or default by such entity, its promoter, director, key managerial personnel or subsidiary, or arrest of key managerial personnel, promoter or director of the entity, whether occurred within India or abroad.

Explanation 1.— For the purposes of this sub-clause, “default” shall mean non-payment of debt when it has become due and payable.

Explanation 2.— Default by a promoter, director, key managerial personnel or subsidiary may be considered, if it impacts the entity.

Explanation 3.— Default in case of revolving credit facilities, by the entity, may be considered if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit or drawing power, whichever is lower, for more than thirty days;

- (x) resolution plan/ restructuring or one-time settlement in relation to loans/borrowings from banks/financial institutions;
- (xi) admission of winding-up petition filed by any party/ creditors and admission of application by the Tribunal filed by the corporate applicant or financial creditors for initiation of corporate insolvency resolution process against the entity as a corporate debtor, approval of resolution plan or rejection thereof under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, or any similar proceedings under the laws of any foreign jurisdiction;

- (xii) initiation of forensic audit, by whatever name called, by the entity or any other entity for detecting mis-statement in financials, misappropriation or siphoning or diversion of funds and receipt of final forensic audit report;
- (xiii) action(s) initiated or orders passed within India or abroad, by any regulatory, statutory, enforcement authority or judicial body against the entity or its directors, key managerial personnel, promoter or subsidiary, in relation to the entity;
- (xiv) outcome of any litigation(s) or dispute(s) which may have an impact on the entity;
- (xv) giving of guarantees or indemnity or becoming a surety, by whatever name called, for any third party, by the entity not in the normal course of business; or
- (xvi) grant, withdrawal, surrender, cancellation or suspension of key licenses or regulatory approvals;
- (m) “mule account” includes a trading account maintained with a broker dealer or a dematerialised account or bank account linked with such trading account in the name(s) of a person, where the account is effectively controlled by another person, whether or not the consideration for transactions in such account is paid by such other person;
- (n) “recognised stock exchange” shall have the same meaning as assigned to it under clause (q) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021;
- (o) “securities” shall have the meaning assigned to it under clause (h) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);
- (p) “trading” includes subscribing, redeeming, switching, buying, selling, dealing, or agreeing to subscribe, redeem, switch, buy, sell, deal in any securities, and “trade” shall be construed accordingly.
- (2) Words and expressions used and not defined in these Regulations but defined in the Act, the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings as respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations made thereunder or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II

RESTRICTIONS ON COMMUNICATION AND TRADING BY INSIDERS

4. Communication or procurement of material non-public information.

- (1) No insider shall communicate, provide or allow access to any material non-public information relating to an entity or securities listed or proposed to be listed to any person, including other insiders, except where such communication is in furtherance of legitimate purposes, performance of duties or discharge of legal obligations.

Explanation.— For the purposes of this regulation, the expression “legitimate purposes” includes sharing of material non-public information in the ordinary course of business by an insider with partners, collaborators, lenders, customers, suppliers, lead managers, underwriters, legal advisors, auditors, insolvency professionals or other advisors or consultants, so long as such sharing is not undertaken to evade or circumvent the prohibitions under these Regulations.

- (2) No person shall procure from, or cause the communication by, any insider of material non-public information, relating to an entity or securities listed or proposed to be listed, except in furtherance of legitimate purposes, performance of duties or discharge of legal obligations.
- (3) A person in receipt of material non-public information pursuant to legitimate purposes shall be considered an “insider” for the purposes of these Regulations and such person shall handle such material non-public information in compliance with these Regulations.

5. Trading when in possession of material non-public information.

- (1) No insider shall trade or cause any other person to trade in securities that are listed or proposed to be listed, when in possession of material non-public information.
- (2) Where a person has traded in securities while being in possession of material non-public information, it shall be presumed that such trade(s) were executed on the basis of such information possessed by him.

- (3) Where a person has traded in securities while in possession of material non-public information, he may explain his trading by demonstrating the circumstances, including the following,—
- (a) the transaction is an off-market inter-se transfer between insiders who were in possession of the same material non-public information without being in breach of regulation 4, and both parties had made a conscious and informed trade decision;
 - (b) the transaction was carried out through the block deal window mechanism of a recognised stock exchange, between persons who were in possession of the material non-public information without being in breach of regulation 4 and both parties had made a conscious and informed trade decision;
 - (c) the transaction was bona fide and carried out pursuant to a statutory or regulatory obligation;
 - (d) the transaction was undertaken pursuant to the exercise of stock options in respect of which the exercise price was pre-determined in compliance with the applicable laws;
 - (e) in the case of non-individual insiders,—
 - (i) the individuals who were in possession of such material non-public information were different from the individuals taking trading decisions and such decision-making individuals were not in possession of such material non-public information when they took the decision to trade; and
 - (ii) appropriate and adequate arrangements were in place to ensure that these Regulations are not violated and no material non-public information was communicated by the individuals possessing the information to the individuals taking trading decisions and there is no evidence of such arrangements having been breached;
 - (f) trades were pursuant to an irrevocable trading plan already disclosed to the recognised stock exchange(s) at least one hundred and twenty days in advance.
- (4) The Authority may specify such additional standards and requirements, including reporting requirements, from time to time, as it may deem necessary for the purpose of these Regulations.

6. Disclosure by designated persons.

- (1) Every listed entity shall have a policy for disclosures by designated persons in accordance with the requirements specified in this regulation.
- (2) Every designated person shall disclose to the listed entity the number of specified securities acquired or disposed of by him or his immediate relatives, within two trading days of such transaction, if the value of the specified securities traded, whether in one transaction or in a series of transactions, over any calendar quarter, aggregates to a traded value in excess of USD twenty-five thousand or such other value as may be specified by the Authority.

Explanation 1.— For the purposes of this sub-regulation, the term “specified securities” shall include equity instruments, debt securities, and any other derivative instruments of the listed entity.

Explanation 2.— The term “equity instruments” means equity shares, convertible debentures, preference shares and share warrants issued by the listed entity.

- (3) The listed entity shall, within two working days of receipt of the disclosure under sub-regulation (2), notify such information to the recognised stock exchange(s) where its securities are listed, and also host such disclosure on its website.

CHAPTER III

PROHIBITION OF MANIPULATIVE, FRAUDULENT AND UNFAIR TRADE PRACTICES

7. Prohibition of certain dealings in securities.

No person shall directly or indirectly,—

- (a) buy, sell or otherwise deal in securities in a fraudulent manner;
- (b) use or employ, any manipulative or deceptive device or contrivance in contravention of the provisions of the Act, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), or the rules or regulations issued thereunder, in relation to trading of securities listed or proposed to be listed;

- (c) employ any device, scheme or artifice to defraud in connection with dealing in or issue of securities which are listed or proposed to be listed; or
- (d) engage in any act, practice, or course of business which operates or would operate as fraud or deceit upon any person in connection with any dealing in or issue of securities which are listed or proposed to be listed in contravention of the provisions of the Act, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), or the rules or regulations issued thereunder.

8. Prohibition of manipulative, fraudulent and unfair trade practices.

- (1) Without prejudice to regulation 7, no person shall indulge in a manipulative, fraudulent or unfair trade practice in the securities market.
 - (2) Dealing in securities shall be deemed to be manipulative, fraudulent or unfair trade practice if it involves any of the following,—
 - (a) knowingly indulging in an act which creates false or misleading appearance of trading in the securities market;
 - (b) dealing in securities not intended to effect transfer of beneficial ownership but intended to operate only as a device to inflate, depress or cause fluctuations in the price of such securities for wrongful gain or avoidance of loss;
 - (c) inducing any person to subscribe to an issue of securities for fraudulently securing the minimum subscription to such issue of securities, by advancing or agreeing to advance any money to any other person or through any other means;
 - (d) inducing any person for dealing in securities for artificially inflating, depressing, maintaining or causing fluctuation in the price of securities through any means including by paying, offering or agreeing to pay or offer any money or money's worth, directly or indirectly, to any person;
 - (e) any act or omission amounting to manipulation of the price of securities including influencing or manipulating the reference price or benchmark price of securities;
 - (f) knowingly publishing or causing to publish or reporting or causing to report by a person dealing in securities any information relating to securities, including financial results, financial statements, mergers and acquisitions, regulatory approvals, which is not true, or which he does not believe to be true prior to or in the course of dealing in securities;
 - (g) entering into a transaction in securities without intention of performing it or without intention of change of ownership of such security;
 - (h) selling, dealing in or pledging of stolen, counterfeit or fraudulently issued securities whether in physical or dematerialised form:

Provided that such selling, dealing in or pledging of stolen, counterfeit or fraudulently issued securities shall not be considered as a manipulative, fraudulent, or unfair trade practice if,—

 - (i) the person selling, dealing in or pledging stolen, counterfeit or fraudulently issued securities was a holder in due course; or
 - (ii) the stolen, counterfeit or fraudulently issued securities were previously traded on the market through a bona fide transaction;
 - (i) disseminating information or advice through any media, whether physical or digital, which the disseminator knows to be false or misleading and which is designed to, or likely to, influence the decision of investors dealing in securities;
 - (j) a market participant entering into transactions on behalf of a client without the knowledge of or instructions from the client or misutilising or diverting the funds or securities of the client held in fiduciary capacity;
 - (k) indulging in circular transactions in respect of any securities to artificially provide a false appearance of trading in such securities or to inflate, depress or cause fluctuations in the price of such securities;
 - (l) fraudulent inducement of any person by a market participant to deal in securities with the objective of enhancing his brokerage or commission or income;
 - (m) predating or otherwise falsifying records, including contract notes, client instructions, balance of securities statement, or client account statements relating to any activity in the securities market;

- (n) any order in securities placed by a person, while directly or indirectly in possession of information that is not publicly available, regarding a substantial impending transaction in that securities, its underlying securities or its derivative;
- (o) knowingly planting false or misleading news which may induce sale or purchase of securities;
- (p) mis-selling of securities or services relating to securities market;

Explanation.— For the purposes of this clause, “mis-selling” means sale of securities or services relating to securities market by any person, directly or indirectly, by:—

- (i) knowingly making a false or misleading statement;
- (ii) knowingly concealing or omitting material facts;
- (iii) knowingly concealing the associated risk; or
- (iv) not taking reasonable care to ensure suitability of the securities or service to the buyer.
- (q) creating artificial demand or price of securities;
- (r) buying and selling securities at the same price in order to artificially increase trading activity;
- (s) dissemination of a rumour or creation of misleading activity which could push the price of securities upward or downward;
- (t) submission of order and cancelling it repeatedly with no intent to execute the order, only to alter the supply or demand to artificially establish demand and price of securities;
- (u) any diversion, misutilisation or siphoning off of the assets or earnings of an entity that would directly or indirectly manipulate the price of its securities;
- (v) manipulation of the books of accounts or financial statements of the entity that would directly or indirectly manipulate the price of its securities; or
- (w) illegal mobilisation of funds by sponsoring or causing to be sponsored or carrying on or causing to be carried on any collective investment scheme by any person;

Explanation.— For the removal of doubts, it is clarified that the acts and omissions listed in this sub-regulation are not exhaustive, and an act or omission is prohibited if it falls within the purview of regulation 7, notwithstanding the fact that it is not included in this sub-regulation or has been described as being committed or omitted only by a certain category of person(s) in this sub-regulation.

CHAPTER IV

MISCELLANEOUS

9. Institutional mechanism for prevention of market abuse.

- (1) Every listed entity shall put in place an adequate and effective system of internal controls and a code of conduct to ensure compliance with these Regulations to prevent market abuse.
- (2) The internal controls shall, inter-alia, provide for the following,—
 - (a) identification and maintenance of confidentiality of material non-public information;
 - (b) placing adequate restrictions on procurement and communication of material non-public information;
 - (c) identification of employees who have access to material non-public information; and
 - (d) periodic review of controls to evaluate their effectiveness.
- (3) Without prejudice to sub-regulations (1) and (2), the Authority may specify such additional standards for internal controls and code of conduct as it may deem fit.

10. Sanction for violations.

Any contravention of these Regulations shall be dealt with by the Authority in accordance with the corresponding provisions of the Act.

11. Suspension or cancellation of registration.

The Authority may, without prejudice to any action under the corresponding provisions of the Act or the regulations made thereunder, by an order for reasons to be recorded in writing and in the interests of investors and securities market, take any of the following actions against a person regulated by the Authority, for contravention of the provisions of these Regulations,—

- (a) issue a warning or censure; or
- (b) suspend or cancel the registration of such person.

12. Power to remove difficulties.

In order to remove any difficulties in the interpretation or application of the provisions of these Regulations, the Authority may issue directions or clarifications through subsidiary instructions.

13. Power to specify norms, procedures, and issue clarifications.

For the purposes of implementing these Regulations and the matters incidental thereto, the Authority may specify norms, procedures, processes or any additional requirements by way of subsidiary instructions, and may issue such clarifications as may be required.

15. Power to relax strict enforcement of the Regulations.

- (1) The Authority may, for reasons to be recorded in writing, in the interest of development of the financial services market in the International Financial Services Centre, relax the strict enforcement of any requirement of these Regulations.
- (2) For seeking relaxation under sub-regulation (1), an application giving details and the grounds on which such relaxation has been sought, shall be filed with the Authority along with such non-refundable fee as may be specified by the Authority.
- (3) The Authority shall process the application filed under sub-regulation (2) within sixty days of the date of receipt of the application, complete in all respects, including responses to clarifications sought and shall record reasons for acceptance or refusal of the relaxation(s) sought by the applicant.

15. Disapplication and savings.

- (1) On and from the commencement of these Regulations, the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, and the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003 shall not apply in the International Financial Services Centre.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), anything done or any action taken or purported to have been taken under the regulations mentioned in sub-regulation (1), prior to the commencement of these Regulations, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these Regulations.

PRADEEP RAMAKRISHNAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./295/2026-27]